

गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967

परीलम्स के लयि:

राष्ट्रीय अपराध रकिरड बयूरो

मेन्स के लयि:


गृह मंत्रालय द्वारा प्रसतुत कयि गए 'गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967' से संबंघति वभिनिन आँकडे

चरचा में क्यो?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में 'राष्ट्रीय अपराध रकिरड बयूरो' (National Crime Record Bureau- NCRB) द्वारा एकत्रति 'गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967' [Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), 1967] से संबंघति आँकडे प्रसतुत कयि ।

मुख्य बदि:

- इन आँकडों के अनुसार, वर्ष 2017 में **UAPA** के तहत मणपुरि में सर्वाधकि 35% से अधकि लगभग 330 मामले दर्ज कयि गए तथा इन मामलों के अंतरगत लगभग 352 व्यक्तियों को गरिफ्तार कयि गया ।
- वर्ष 2017 में UAPA के तहत पंजीकृत कुल मामलों के 17% (156) मामले जम्मू-कश्मीर में तथा 14% (133) मामले असम में दर्ज कयि गए ।
- वर्ष 2017 में UAPA के तहत पंजीकृत कुल मामलों में उत्तर प्रदेश तथा बिहार में क्रमशः 12% (109) तथा 5% (52) मामले दर्ज कयि गए ।
- UAPA के तहत कुल पंजीकृत मामलों में से केवल 12% उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए परंतु इस अधिनियम के अंतरगत हुई कुल गरिफ्तारियों (1554 व्यक्ती) में से सर्वाधकि 382 गरिफ्तारियों उत्तर प्रदेश में हुई ।



- इसके अतरिकित इस अधिनियम के अंतरगत असम, मणपुरि, जम्मू-कश्मीर, झारखंड में क्रमशः 374, 352, 35 और 57 गरिफ्तारियों हुई ।
- गृह मंत्रालय या राज्य सरकार के सक्षम प्राधकिारी को जाँच एजेसी से संपर्क करने के बाद सात दिनों में चार्जशीट दाखलि करने की मंजूरी देनी होती है ।

- गृह मंत्रालय द्वारा NCRB के आँकड़ों के आधार पर दी गई जानकारी के अनुसार, UAPA के तहत वर्ष 2015, 2016 और 2017 में क्रमशः 1128, 999, 1554 व्यक्तियों की गरिफ्तारी हुई।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो:

(National Crime Record Bureau- NCRB)

- NCRB की स्थापना गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में अपराध और अपराधियों की सूचना संग्रह करने के लिये की गई थी।
- वर्ष 2009 से यह अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (CCTNS) योजना की देख-रेख, समन्वय तथा लागू करने का कार्य कर रहा है।
- NCRB का उद्देश्य भारतीय पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपराध तथा अपराधियों की जानकारी देकर कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा करने में सक्षम बनाना है।

स्रोत- द हद्द

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/unlawful-activities-prevention-act,1967>

